

संख्या- 46/1237/65-2-2014-95(विविध)/05टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

विकलांग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ- दिनांक 04 जुलाई 2014

विषय- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के छः जनपदों में संचालित की जा रही ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को प्रदेश के पात्र विकलांग व्यक्तियों की विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनसामान्य को किफायती, पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट की परिकल्पना की गई है जिसके अन्तर्गत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से इस विभाग की पेंशन योजना को सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जाना है।

2- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के निराश्रित विकलांग व्यक्तियों हेतु भरण-पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन) के रूप में ₹0 300/- प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये विकलांग कल्याण विभाग द्वारा विकलांग पेंशन योजना संचालित है। ऐसे विकलांग जन जिनकी आय शासन द्वारा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत हो अथवा जिनके पास स्वयं की आय नहीं है अथवा कानूनी रूप से उनकी देख-रेख के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के पास आय का कोई श्रोत नहीं है इस योजना के लिये पात्र होंगे। ई-गवर्नेन्स योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय भागों में विकलांग पेंशन हेतु आवेदन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:-

पात्रता मापदण्ड:-

- 1- आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 2- आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए।
- 3- आवेदक की वार्षिक आय रुपये 12000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 4- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/गैर सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- 5- परिवार का कोई भी सदस्य कोई भी व्यापार न करता हो।
- 6- आवेदक को कोई अतिरिक्त पेंशन/सहायता/अनुदान किसी भी अन्य स्रोत से/राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से न प्राप्त हो रही हो।

ग्रामीण क्षेत्र हेतु आवेदन व प्रक्रिया

- 1- सर्वप्रथम आवेदक कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र अथवा आनलाइन आवेदन करेगा।
- 2- कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र वाला ऑपरेटर आवेदक को आवेदन फार्म देगा।
- 3- कॉमन सर्विस सेन्टर वाला ऑपरेटर आवेदक के भरे हुये आवेदन फार्म लोकवाणी केन्द्र/को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में प्रस्तुत करेगा।
- 4- आवेदन फार्म में भरी सभी प्रविष्टियों की शुद्धता हेतु, ऑपरेटर भरे हुए फार्म का प्रिन्ट आउट निकालेगा वह उस पर आवेदक के हस्ताक्षर लेगा तदोपरान्त सभी भरी हुयी प्रविष्टियों की शुद्धता के उपरान्त, आवेदन फार्म पोर्टल पर आवश्यक संलग्नको को स्कैन कर अपलोड करेगा। ऑपरेटर सेवा का शुल्क प्राप्त करने के पश्चात आवेदक को रसीद उपलब्ध करायेंगा।
- 5- आनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदक आनलाइन फार्म में इन्ट्री करेगा एवं उसका प्रिन्ट आउट निकालेगा एवं उस पर अपने हस्ताक्षर लगाकर उसको अन्य आवश्यक संलग्नको सहित पोर्टल पर अपलोड करेगा तत्पश्चात वह रसीद को डाउनलोड करेगा।
- 6- आनलाइन मोड में आवेदक सेवा का शुल्क आनलाइन माध्यम से भरेगा।
- 7- खण्ड विकास अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में लाग-इन कर प्राप्त आवेदन पत्रों को देखेगा।
- 8- ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन द्वारा एम0आई0एस0 रिपोर्ट के माध्यम से यह मालूम हो जायेगा की आवेदक ने, पेंशन हेतु प्रथम बार आवेदन किया है अथवा आवेदक पहले से ही लाभार्थी सूची में शामिल है।
- 9- यदि आवेदक पहले से ही लाभार्थी सूची में शामिल है तो खण्ड विकास अधिकारी आवेदन को अस्वीकार करेगा तथा उस पर अपनी टिप्पणी अंकित करेगा।
- 10- यदि आवेदक लाभार्थी सूची में शामिल नहीं है और उसने यह पहली बार आवेदन किया है, इस स्थिति में खण्ड विकास अधिकारी आवेदन को आनलाइन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जांच हेतु अग्रेशित करेगा।
- 11- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर लागइन करेगा तथा अपने इनबाक्स में उपलब्ध आवेदनों को देखेगा।
- 12- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम सभा की बैठक आयोजित करेगा तथा सभी प्राप्त आवेदनों को ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करेगा।
- 13- ग्राम सभा सभी प्राप्त आवेदनों पर विचार करते हुए उसमें से पात्र लाभार्थी का चयन करेगी।

- 14- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पात्र/अपात्र सूची तैयार करेगा एवं उसके अनुसार ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर प्राप्त आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकृत की सूचना अपलोड करेगा।
- 15- खण्ड विकास अधिकारी यदि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के प्रस्ताव से असहमत है तो वह खुली बैठक के आदेश को खारिज कर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को पुन- खुली बैठक कराने हेतु आदेशित करेगा। यह प्रक्रिया भी ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन के द्वारा ही सम्पन्न होगी।
- 16- यदि खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से सहमत है तो वह आवेदन पत्रों को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेगा।
- 17- जिला विकलांग कल्याण अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर लागइन करेगा व लाभार्थियों को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगा तथा पेंशन वितरण की प्रक्रिया को आरम्भ करेगा।
- 18- आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति की स्थिति में आवेदक को सूचना एस०एम०एस० के माध्यम से तथा अद्यावधिक सूचना ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर (आवेदन पत्र क्रमांकअंकित कर) प्राप्त की जा सकती है।

शहरी क्षेत्र हेतु आवेदन व प्रक्रिया

- 1- सर्वप्रथम आवेदक सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र अथवा आनलाइन आवेदन देगा।
- 2- कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र वाला आपरेटर आवेदक को आवेदन फार्म देगा।
- 3- कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र वाला आपरेटर आवेदक के भरे हुये आवेदन फार्म को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में प्रस्तुत करेगा।
- 4- आवेदन फार्म में भरी सभी प्रविष्टियों की शुद्धता हेतु, आपरेटर भरे हुए फार्म का प्रिन्ट आउट निकालेगा वह उस पर आवेदक के हस्ताक्षर लेगा तदुपरान्त सभी भरी हुयी प्रविष्टियों की शुद्धता के उपरान्त, आवेदन फार्म पोर्टल पर आवश्यक संलग्नकों को स्कैन कर अपलोड करेगा। आपरेटर सेवा का शुल्क प्राप्त करने के पश्चात आवेदक को रसीद उपलब्ध करायेगा।
- 5- आनलाइन आवेदन की स्थिति में आवेदक आनलाइन फार्म में इन्ट्री करेगा एवं उसका प्रिन्ट आउट निकालेगा एवं उस पर अपने हस्ताक्षर कर उसको अन्य आवश्यक संलग्नको सहित पोर्टल पर अपलोड करेगा तत्पश्चात वह रसीद को डाउनलोड करेगा।
- 6- आनलाइन मोड में आवेदक सेवा का शुल्क आनलाइन माध्यम से भरेगा।
- 7- उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन में लाग-इन करेंगे तथा प्राप्त आवेदन पत्रों को देखेंगे।

-4-

- 8- ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन द्वारा एम0आई0एस0 रिपोर्ट के माध्यम से यह मालूम हो जायेगा की आवेदक ने पेंशन हेतु प्रथम बार आवेदन किया है अथवा आवेदक पहले से ही लाभार्थी सूची में शामिल है।
- 9- यदि आवेदक पहले से ही लाभार्थी सूची में शामिल है तो उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट आवेदन को अस्वीकार करेगा तथा उस पर अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे।
- 10- यदि आवेदक लाभार्थी सूची में शामिल नहीं है और उसने यदि पहली बार आवेदन किया है, इस स्थिति में उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट आवेदन को आनलाइन तहसीलदार को जांच हेतु अग्रेशित करेंगे।
- 11- तहसीलदार आवेदनों की जांच हेतु लेखपाल को अग्रेशित करेगा।
- 12- लेखपाल ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर लागइन करेगा तथा अपने इनबाक्स में उपलब्ध आवेदनों को देखेगा।
- 13- लेखपाल जांच उपरान्त प्राप्त आवेदनों पर टिप्पणी अंकित करेगा तथा तहसीलदार को प्रेषित करेगा।
- 14- यदि तहसीलदार, लेखपाल की टिप्पणी से सहमत है तो वह आवेदन को स्वीकृत हेतु उसे उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट ई-डिस्ट्रिक्ट को प्रेषित करेगा।
- 15- आवेदन की जांच के उपरान्त यदि वह स्वीकृत पाये जाते हैं तो उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेगा।
- 16- जिला वि.लांग कल्याण अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर लागइन करेगा व लाभार्थियों को ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगा तथा पेंशन वितरण की प्रक्रिया को आरम्भ करेगा।
- 17- आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति की स्थिति में आवेदक को सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से तथा अद्यावधिक सूचना ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर (आवेदन पत्र क्रमांक अंकित कर) प्राप्त की जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 1284/65-2-2008-/133(विविध)/2000 दिनांक 30 जून, 2008 द्वारा प्रदेश के 6 जनपदों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर, रायबरेली, गोरखपुर एवं सुल्तानपुर के पात्र विकलांगजनों की विकलांग पेंशन योजना के निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे, जो उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
सचिव।